I/3/329525/2023

संख्या-36/3023/406/58-2-2023-1712168

प्रेषक,

शिवराज कुमार यादव
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 08 जून, 2023**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या -10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-119-04-0418-उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्कररण उद्योग नीति-2017 के अन्तर्गत व्यवस्थित धनराशि रू0-4000.00 लाख को अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक 24-2023/बजट/18-दिनांक 10.05.2023 :का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. उल्लेख करना है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-119-04-0418 उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 की योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष-2023-24 में प्राविधानित धनराशि रू0-4000.00 लाख (रूपया चालीस करोड़ मात्र) के सापेक्ष **कार्यालय संचालन हेतु यथा-यात्रा व्यय, कार्यालय व्यय, लेखन सामग्री, गाड़ियों का पेट्रोल, कम्प्यूटर स्टेशनरी आदि हेतु रू0-34.00 लाख एवं ब्याज उपादान की प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ एवं पंचम किश्त हेतु अपेक्षित धनराशि के सापेक्ष सब्सिडी मद में रू0-3866.00 लाख तथा 1500 तीन दिवसीय जागरूकता प्रशिक्षण के आयोजन हेतु रू0-100.00 लाख इस प्रकार कुल धनराशि रू0-4000.00 लाख** की प्रशासकीय स्वीकृति के साथ आपके निर्वतन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है जिसका विवरण निम्नवत है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रस्तावित धनराशि के सापेक्ष जो भी कार्य कराये जायेंगे वो अपने आप में पूर्ण होंगे तथा कोई शासकीय देयता सृजित नहीं होगी।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय योजना के दिशा-निर्देशों/गाईड लाईन एवं संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा।

(3) कोषागार से धनराशि का आहरण/व्यय तभी किया जायेगा जब पात्र लाभार्थियों का चयन कर चयनित लाभार्थियों की सूची विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी।

(4) प्रस्ताव में आकड़ों की शुद्धता का दायित्व विभागाध्यक्ष/वित्त नियंत्रक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग का होगा।

(5) प्रस्तावित वित्तीय स्वीकृति उपलब्ध बजट प्राविधान की सीमा के अन्तर्गत रहेगी इसके लिए विभागाध्यक्ष/वित्त नियंत्रक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तरदायी होंगे।

(6) धनराशि का विभागाध्यक्ष/वित्त नियंत्रक अधिकारी के निवर्तन पर रखे जाने मात्र से किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है।

(7) जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति विभागाध्यक्ष/ नियंत्रक अधिकारी द्वारा प्राप्त की जानी आवश्यक हो उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

....2/-

http://shasanadesh.up.gov.in

(8) विभागाध्यक्ष/वित्त नियंत्रक उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय कि आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय।

(9) कोषागार से एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय क्योंकि धनराशि के एकमुश्त आहरण से राज्य के कैश मैनेजमेंट पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(10)व्यय प्रबन्धन एवं शासकीय व्यय में मितव्ययिता के सम्बन्ध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) धनराशि के आहरण एवं व्यय के दौरान वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17.03.2023 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा।

-2इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष 2401001190418:उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017

	अनुदान संख्या	**लेखा शीर्षक**	**मानक मद**	**स्वीकृत धनराशि**
1	010	2401001190418 उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017	04 यात्रा व्यय	1,00, 000 (रुपये एक लाख मात्र)
2	010	2401001190418 उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017	08 कार्यालय व्यय	1,00, 000 (रुपये एक लाख मात्र)
3	010	2401001190418 उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1,00, 000 (रुपये एक लाख मात्र)
4	010	2401001190418 उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	4,00, 000 (रुपये चार लाख मात्र)
5	010	2401001190418 उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	5,00, 000 (रुपये पांच लाख मात्र)
6	010	2401001190418 उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	5,00, 000 (रुपये पांच लाख मात्र)
7	010	2401001190418 उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017	18 प्रकाशन	5,00, 000 (रुपये पांच लाख मात्र)

....4/-

http://shashanadesh.up.gov.in

8	010	2401001190418 उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017	27 सब्सिडी	38,66,00, 000 (रूपये अड़तीस करोड़ छियासठ लाख लाख मात्र)
9	010	2401001190418 उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017	42 अन्य व्यय	5,00, 000 (रुपये पांच लाख मात्र)
10	010	2401001190418 उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	1,00,00, 000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
11	010	2401001190418 उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017	46 कम्प्यूटर हार्डवेयरसाफ्टवेयर का / क्रय	3,00, 000 (रुपये तीन लाख मात्र)
12	010	2401001190418 उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017	47 कम्प्यूटर अनुरक्षणतत्सम्बन्धी / स्टेशनरी का क्रय	2,00, 000 (रुपये दो लाख मात्र)
13	010	2401001190418 उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	2,00, 000 (रुपये दो लाख मात्र)
	कुल			**40,00,00, 000** **(ये चालीस करोड़ मात्ररुप)**
महायोग				40,00,00, 000 (रुपये चालीस करोड़ मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त -अनुभाग (व्ययक-आय) 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2023-बी/1-227-दस/2023-231/2023, दिनांक -17मार्च-, धानित अधिकार में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनि 2023 के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(शिवराज कुमार यादव)
संयुक्त सचिव।

http://shashanadesh.up.gov.in

संख्या-36/3023/406(1)/58-2-2023-1712168, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश प्रयागराज।

(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय सत्यनिष्ठा भवन 15 थार्न हिल रोड प्रयागराज ।

(3) मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(4) वित्ता नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उ0प्र0 लखनऊ।

(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन।

(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 उत्तर प्रदेश शासन।

(7) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शिवराज कुमार यादव)
संयुक्त सचिव।

http://shashanadesh.up.gov.in